न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

संख्या :– 83/2015

श्रीमती चन्द्रावली आयु 49 पत्नी सलतान सिंह, जाति जाट निवासी भुदा का बास, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मलसीसर, जिला झुंझुनू

– रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.4.2013 उनवानी सरकार बनाम चन्द्रावली
कार्यवाही अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 368/13
<u>बअदालत तहसीलदार मलसीसर।</u>

उपस्थितिः–

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट ––– –––––– अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ––––––– रेस्पोंडेंट की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 25.02.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.04.2013 उनवानी सरकार बनाम चन्द्रावली अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – राजस्थान सरकार जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 11.6.89 के द्वारा ग्राम पंचायत भुदा का बास को खसरा नंबर 101 गेर मु0 जोहड़ वाके ग्राम भूदा का बास में से दो एकड़ भूमि जो 3 बीघा 4 विश्वा के बराबर होती है। ग्राम भूदा का बास में आबादी के विस्तार हेतु आवंटित की गई जिसका खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा वाके ग्राम भूदा का बास इस भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। भूमि खसरा नंबर 101/1 मी0 तादादी 3 बीघा 4 विश्वा की जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में यह भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उसके बाद तहसील झुंझुनू में सेटलमेंट का कार्य हुआ तो भूमि पुराना खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा का नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर डाला जाना इस भूमि के मिलान क्षेत्रफल से

Scanned by CamScanner

प्रकट होता है। सेटलमेंट से पूर्व ही जब उक्तानुसार गांव की आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को दिया गया तो पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि के नक्शा ट्रेस में आवंटित भूमि की भौतिक स्थिति को खसरा नंबर 101 में स्थित रास्ता के उत्तर–पूर्व में सटकर दर्शाया जाकर उसकी नकल ग्राम पंचायत भुदा का बास को दिनांक 10.8.98 को निशुल्क प्रदान की गई है। उक्तानुसार आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम पंचायत भूदा का बास ने नियमानुसार समय–समय पर अपीलांट व अन्य लोगों को विक्रय विलेख नियमित प्रीमियम राशि जमा कर दे दिये गये तथा उसी समय पट्टेशुदा भूमि का कब्जा दे दिया गया। पट्टा दिये जाने के समय से ही अपीलांट अपने भूखण्ड में मकानाता बनाकर आबाद चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये नोटिस जारी किया है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पटटा मय रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत कर अपना कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पटटी की जमीन पर होना बताया। अदालत मातहत नेदिनांक 12.4.2013 को अपीलांट को न तो आगे की कोई तारीख पेशी बताई । योग्य अदालत मातहत का आदेश जेर बहस दिनांक 12.4.13 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिनांक 20.4.2004 को संकल्प संख्या 5/50 के जरिये नियमानुसार प्रीमियम राशि प्राप्त की जाकर अपीलांट के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आवंटित की गई भूमि का पुराना खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा होना तथा इस भूमि के नये सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर वाके भूदा का बास पड़ना इस भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 व मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है तथा यह भूमि गेर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना भी स्पष्ट है। अपीलांट को दिये गये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0 एक्ट व रिपोर्ट पटवारी हल्का से अपीलांट का कब्जा भूमि नया खसरा नंबर 166 वाके भूदा का बास की भूमि पर होना जाहिर होता है जो जमीन पुराना खसरा नंबर 101/1/2 मी बनना इस भूमि के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है। अपीलांट का भूमि नया खसरा नंबर 166 के किसी भाग पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त तथ्य की पुष्टि इस जमीन के नक्शा ट्रेस सन 2000–2001 से भी होती है जिसमें खसरा नंबर 166 की भूमि गैर मुमकन रास्ता खसरा नंबर 166/210 के पश्चिम–दक्षिण में स्थित होना प्रकट होता है । जबकि अपीलांट व अन्य पट्टेधारियों का भौतिक कब्जा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 166/210 के उत्तर दिशा में सटकर है। अदालत मातहत ने बिना सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये मन मर्जी से एक निर्धारित प्रारूप को भरकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत

Scanned by CamScanner

में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 12.4.2013 निरस्त फरमाया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 11.06.89 के द्वारा ग्राम पंचायत भूदा का बास को खसरा नंबर 101 गैर मुमकिन जोहड़ वाके ग्राम भूदा का बास में से दो एकड़ भूमि ग्राम भूदा का बास में आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है । जिसका खसरा नंबर 101/1 मी. रकबा 3बीघा 4 विश्वा वाके ग्राम भूदा का बास इस भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 में यह भूम गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। अपीलांट के पास वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत भूदाका बास द्वारा आबादी भूमि में से जारी पट्टा है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये एक निर्धारित प्रारूप को भरकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.4.2013 निरस्त फरमाया जाये।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 12.4.2013 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि रही है और अपीलांट के पास वादग्रस्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत भूदा का बास द्वारा जारी पटटा है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। नये सेटलमेन्ट के दौरान पुराना खसरा नंबर 101/1 मी रकबा 3 बीघा 4 विश्वा गैर मु0 आबादी का नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर वाके भूदा का बास को नक्शा ट्रेस में गलत दर्शाया है, आदि। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 12.4.2013 में उक्त पट्टे के संबंध में कोई

Scanned by CamScanner

फाईडिंग नहीं दी गई है सिर्फ छपे–छपाये फोरमेट को भरकर निर्णय पारित कर इतिश्री की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 12.4.2013 मुकदमा नंबर 368/13 उनवानी सरकार बनाम चन्द्रावली निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Scanned by CamScanner